भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

सं.हिंदी-2022/प्र.-7/5 **नई दिल्ली, दिनांक : 18 .04.2024**

परिपत्र

विषय: सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए लागू राजभाषा व्यक्तिगत नकद पुरस्कार योजना, आधार वर्ष - 2023.

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिकाधिक व प्रशंसनीय प्रयोग करने वाले रेल अधिकारियों एवं कर्मचारियों को **"राजभाषा व्यक्तिगत नकद पुरस्कार योजना"** के तहत पुरस्कृत किया जाता रहा है। इस योजना के अंतर्गत, प्रत्येक वर्ष क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों के साथ-साथ बोर्ड कार्यालय के अनुशंसित अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कार के रूप में प्रत्येक को 3,000/-रू की राशि एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं।

यदि कोई विभागाध्यक्ष यह अनुभव करे कि उनके अधीनस्थ कोई अधिकारी/कर्मचारी अपने सरकारी कामकाज में हिंदी का सराहनीय प्रयोग कर रहा है तो वह उस अधिकारी/कर्मचारी को उक्त पुरस्कार से पुरस्कृत करने के लिए उसके नाम की अनुशंसा कर सकते हैं।

इस योजना के अंतर्गत, लिपिक वर्गीय कर्मचारियों से लेकर सलेक्शन ग्रेड स्तर तक के अधिकारियों की अनुशंसा इस आधार पर भेजी जा सकती है कि अहिंदी भाषी अधिकारी/कर्मचारी अपना कम से कम 50% तथा हिंदी भाषी अधिकारी/कर्मचारी अपना कम से कम 75% कार्य हिंदी में करते हों। **इस योजना के अंतर्गत एक बार पुरस्कार प्राप्त करने के बाद संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के नाम की सिफारिश अगले 03 वर्षों तक नहीं की जा सकेगी।**

अत: अनुरोध है कि इस योजना के अंतर्गत वर्ष-2023 (01.01.2023 से 31.12.2023) के दौरान सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करने वाले पात्र अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम द्विभाषी रूप में राजभाषा निदेशालय को 31.07.2024 तक भिजवाने की व्यवस्था करें।

कृपया अनुशंसित अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम राजभाषा निदेशालय में भिजवाने से पहले उनकी सतर्कता जांच की पुष्टि कर ली जाए और नाम भिजवाने वाले नोट में इसका उल्लेख भी कर दिया जाए।

यह भी उल्लेखनीय है कि अनुशंसित अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कार राशि RTGS/NEFT के माध्यम से भिजवाई जाएगी जिसके लिए उनकी बैंक डिटेल्स, संलग्न प्रोफार्मा एवं निरस्त चैक (Cancelled Cheque) के माध्यम से बोर्ड कार्यालय भिजवाई जानी अनिवार्य होगी। प्रोफार्मा के साथ निरस्त चैक की अनुपलब्धता होने पर प्रविष्टि बोर्ड कार्यालय में स्वीकार नहीं की जाएगी। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सभी अनुशंसित अधिकारियों/कर्मचारियों के पदनाम और उनकी शाखा का नाम संक्षिप्त रूप में न होकर हिंदी एवं अंग्रेजी में पूर्ण रूप से लिखा हुआ हो।

18/4/24

संलग्नक: यथोक्त

(रिसाल सिंह)
संयुक्त निदेशक (राजभाषा)

प्रतिलिपि : बोर्ड कार्यालय, कॉफमो बिल्डिंग तथा दयाबस्ती, नई दिल्ली स्थित कार्यालयों में कार्यरत बोर्ड कार्यालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

RTGS/NEFT कराने के प्रयोजन से अपेक्षित जानकारी भिजवाने हेतु प्रोफार्मा

1. नाम (हिंदी में) :
   NAME (IN ENGLISH) :
2. पदनाम/**DESIGNATION** :
3. कार्यालय का नाम/**OFFICE NAME** :
4. बैंक का नाम/**BANK NAME** :
5. बैंक शाखा का नाम/**BRANCH NAME** :
6. खाता सं./**ACCOUNT NO.** :
   (कृपया **cancelled cheque** की फोटोप्रति भी संलग्न करें)
7. आई.एफ.एस. कोड/**IFS CODE** :
8. मोबाइल नं./**MOBILE NO.** :

अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर

नोट- अनुरोध है कि उपर्युक्त सभी जानकारी (नाम, आईएफस कोड तथा खाता सं.) स्पष्ट रूप से और बैंक खाते के अनुसार ही हो। कोई भी विसंगति होने पर प्रविष्टि स्वीकार नहीं की जाएगी।

Note- It is requested that all the above mentioned information (name, IFS code and account number) should be clear and as per the bank account. In case of any discrepancy the entry will not be accepted.